

प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि का स्वामित्व / मूल्य प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद झांसी में अदानी टोटल गैस लिमिटेड, द्वारा झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राज मार्ग (NH-27) मेडिकल तिराहा से चिरगांव बाईपास के पाम पहाड़ी वुजुर्ग तक चैनेज 1396.100 से 1417.500 तक बायीं तरफ की पटरी पर लगभग 21.400 कि॰मी॰ में 200 mm dia की कार्वन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु 0.642 है॰संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवेदित संरक्षित वन भूमि पर स्वामित्व एन॰एच॰ का है तथा वन-सम्पदा की क्षतिपूर्ति हेतु वांछित वनीकरण की योजना तथा वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय का भार वहन करने एवं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों वनभूमि के नेट प्रेजेंट वैल्यू (एन॰पी॰वी॰) का भुगतान यदि आवश्यक होगा तो यह शर्तें मान्य है, और उनका अनुपालन किया जायगा आपेक्षित संरक्षित क्षेत्र / भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इस के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।


(सुधांशु कुमार)
वरिष्ठ अभियंता
अदानी टोटल गैस लिमिटेड

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
झांसी